दिनांक 02.11.2022
प्रेस विज्ञप्ति 02/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद कासगंज/थाना सहावर

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 01/02.11.2022 की रात्रि थाना सहावर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अमापुर रोड नहर पुल के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त इरफान उर्फ छलिया घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद कासगंज, मैनपुरी आदि के विभिन्न थानों पर 36 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सहावर जनपद कासगंज व थाना विछवां जनपद मैनपुरी पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु क्रमशः 25–25 हजार रूपये (कुल–50 हजार रूपये) का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सहावर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–इरफान उर्फ छलिया निवासी चमन नगरिया थाना अलीगंज जनपद एटा।

बरामदगी

1—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

जनपद भदोही/थाना दुर्गागंज

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 02.11.2022 को थाना दुर्गागंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर वरूणा पुल के पास से अभियुक्त शुभम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना दुर्गागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0—55/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना दुर्गागंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शुभम निवासी तेंदुई थाना जंसा, वाराणसी।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना दनकौर

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त सहित 01 अन्य अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटी गयी 01 कार**
- **लूट का 01 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त बोलेनोकार**
- **03 अवैध तमंचा 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 01.11.2022 को थाना दनकौर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिजली पावर हाऊस के पास चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया

गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में 02 अभियुक्त 1–बब्लू उर्फ देसी 2–अनुज घायल हो गये, जिसे 3–अभियुक्त नितिन उर्फ हनुमान सहित गिरफ्तार किया गया जिसकी निशादेही पर अभियुक्त 4–गौरव को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटी गयी 01 कार, लूट का 01 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त बोलेनोकार, 03 अवैध तमंचा 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि बरामद हुये।घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त बबली उर्फ देशी के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के थाना दनकौर पर लूट, हत्या का प्रयास, सदोष मानवबध, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद कार, मोबाइल फोन उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना दनकौर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बब्लू उर्फ देसी निवासी कनारसी थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।

2–अनुज निवासी नवादा थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–लूटी गयी 01 कार।

2–लूट का 01 मोबाइल फोन।

3–घटना में प्रयुक्त बोलेनोकार ।

4–03 अवैध तमंचा 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि।

जनपद गाजियाबाद/थाना साहिबाबाद

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **16 हजार 500 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 01.11.2022 की रात्रि थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिजली घर करहैडा के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शाहिद अफरीदी घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 16 हजार 500 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद गाजियाबाद व दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानो पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शाहिद अफरीदी निवासी कब्रिस्तान वाली गली शालीमार थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद।

बरामदगी

1–16 हजार 500 रूपये नगद।

2–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

जनपद गाजियाबाद/थाना विजयनगर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **13 हजार 350 रूपये नगद**
- **चोरी की 01 स्कूटी**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 01.11.2022 की रात्रि थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सर्विस रोड पर स्थित गेट नं0–2 के पास चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अश्वनी घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 13 हजार 350 रूपये नगद, चोरी की 01 स्कूटी, 01 मोबाइल फोन 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद गाजियाबाद, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, आबकारी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना विजयनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अश्वनी निवासी जी ब्लाक विजयनगर थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी

1–13 हजार 350 रूपये नगद।

2–चोरी की 01 स्कूटी।

3–01 मोबाइल फोन।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

जनपद गाजियाबाद/थाना साहिबाबाद

- **01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 04 लाख रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 01.11.2022 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कान्हा काम्पलैक्स के पास से शातिर अभियुक्त इन्द्रजीत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 04 लाख रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद गाजियाबाद, दिल्ली के विभिन्न थानो में लूट, चोरी आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इन्द्रजीत निवासी आई ब्लाक तिगरी थाना तिगरी दक्षिणी दिल्ली।

बरामदगी

1–चोरी के 04 लाख रूपये नगद।

2–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

जनपद मथुरा/थाना गोविन्दनगर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी के लगभग 03 लाख रूपये कीमत के सोने–चॉदी के आभूषण**
- **चोरी के 01 टेबलेट मय बैग बरामद**

दिनॉकः 01.11.2022 को थाना गोविन्दनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोकुल रेस्टोरेन्ट के पास से 02 अभियुक्तों 1– रानू उर्फ रमेश 2– सन्जू उर्फ संजय

को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के लगभग 03 लाख रूपये कीमत के सोने–चॉदी के आभूषण, चोरी के 01 टेबलेट मय बैग बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है। दिनॉकः 26.10.2022 को थाना गोविन्दनगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गोविन्दनगर पर मु0अ0सं0–422/2022 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना गोविन्दनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रानू उर्फ रमेश निवासी सुन्दरपुर थाना कोतवाली टीकमगढ़, मध्य प्रदोश हालपता–राधापुरम् कालोनी बिरला मंदिर थाना गोविन्दनगर जनपद मथुरा।

2–सन्जू उर्फ संजय निवासी मागरौली थाना छाता जनपद मथुरा।

बरामदगी

1–चोरी के लगभग 03 लाख रूपये कीमत के सोने–चॉदी के आभूषण।

2–चोरी के 01 टेबलेट मय बैग ।

जनपद कानपुर देहात/थाना अकबरपुर

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 13 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 02.11.2022 को थाना अकबरपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 05 अभियुक्तों 1–राहुल 2–कपिल 3– प्रदीप कुमार 4– रोहित

5—अखिलेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 13 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके पास से बरामद मोटर साइकिल चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना अकबरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राहुल निवासी पिपरायां थाना आटा जनपद जालौन।

2—कपिल निवासी पिलखिनी रनियां डेरा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

3—प्रदीप कुमार निवासी अंगूरी थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

4—रोहित निवासी गिरसी थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर।

5—अखिलेश निवासी इटौरा थाना कदौरा जनपद जालौन।

बरामदगी

1—चोरी की 13 मोटर साइकिल

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि।

जनपद मथुरा/थाना कोसीकलॉ

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 30 लाख रूपये कीमत के 400 पेटी अवैध शराब**
- **घटना में प्रयुक्त कन्टेनर बरामद**

दिनॉकः02.11.2022 को थाना कोसीकलॉ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कोटवन वैरियर पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त सुनील कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 30 लाख रूपये कीमत के 400 पेटी अवैध शराब, घटना में प्रयुक्त कन्टेनर बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कोसीकलॉ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुनील कुमार निवासी नूरवाला जसवीर कालोनी वार्ड नं0–2 जनपद पानीपत, हरियाणा।

बरामदगी

1–लगभग 30 लाख रूपये कीमत के 400 पेटी अवैध शराब।

2–घटना में प्रयुक्त कन्टेनर।

- **जनपद कौशाम्बी/थाना सराय अकिल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एडीजे/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या–9 जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना सराय अकिल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3) भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सुनील कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बाराबंकी/थाना फतेहपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या–45 जनपद बाराबंकी द्वारा थाना फतेहपुर पर पंजीकृत अभियोग में 363/366/376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त शिवबरन को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एसटीएफः मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अन्तर्राज्यीय गिरोह के 03 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, उनके कब्जे से 01 किलो 500 ग्राम स्मैक (अनुमानित मूल्य लगभग डेढ़ करोड़ रूपये) बरामद।

दिनांक 02–11–2022 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को थाना सरसावा, जनपद सहारनपुर क्षेत्र से स्मैक की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग के 03 सक्रिय सदस्यों को 01 किलो 500 ग्राम स्मैक (अर्न्तराष्ट्रीय मूल्य लगभग डेढ़ करोड़ रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1. अमित पुत्र करतार सिंह नि0 बुधेडा, थाना सरसावा, जनपद सहारनपुर
2. कृष्णा पुत्र सतीश नि0 अहमदपुर सादात, थाना सरसावा, जनपद सहारनपुर।
3. रविन्द्र पुत्र मांगेराम सिंह नि0 अहमदपुर सादात, थाना सरसावा, जनपद सहारनपुर।

बरामदगीः

1– 01 किलो 500 ग्राम स्मैक (अर्न्तराष्ट्रीय मूल्य लगभग 01 करोड 50 लाख रूपये)

2– 01 स्पलेण्डर मोटर साईकिल नं0 एचआर–03 आर–5613

3– 05 अदद मोबाईल फोन,

4– रू0 89130/– नगद

गिरफ्तारी का स्थान व समय

दिनाकः 02–11–2022, स्थानः अहमदपुर सादात हाईवे पुल के नीचे नकुड रोड, थाना सरसावा, जनपद सहारनपुर, समयः–01.35 बजे

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदो में मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, मेरठ के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ से टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ के निरीक्षक श्री प्रशान्त कपिल के नेतृत्व में उ0नि0 अरूण कुमार निगम, हे0कां0 प्रमोद कुमार, हे0कां0 जोशी राणा, कान्स0 दीपक कुमार, कान्स0 महेश शर्मा एंव कां0 विकास धामा ईनामी/वांछित अपराधियों की तलाश/गिरफ्तारी हेतु जनपद सहारनपुर क्षेत्र में मामूर थी, कि मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि कुछ लोग अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करते हैं वह आज माल के लेन देन हेतू नकुड की ओर से मोटर साईकिल पर थाना सरसावा क्षेत्र के अहमदपुर साहात पुल के नीचे आने वाले हैं। अगर समय से पहुॅचे तो पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर एसटीएफ की टीम स्थानीय पुलिस को अवगत कराते हुए मुखबिर के साथ लेकर उसके बताये गये स्थान पर पहुँच कर कर मुखबिर द्वारा बताये गये व्यक्तियों का इंतजार करने लगे। कुछ देर पश्चात नकुड की तरफ से एक मोटर साईकिल जिस पर तीन व्यक्ति सवार थे, जिन्हें आने जाने वाले वाहनों की लाईट व पुल पर लगी स्ट्रीट लाईटों की रोशनी में मुखबिर की निशादेही पर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए घेर–घार कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने संक्षिप्त पूछताछ पर बताया कि जो माल उनसे बरामद हुआ है वह स्मैक है, जो यह लोग बरेली के बबलू नामक व्यक्ति से मोबाईल द्वारा सम्पर्क कर खरीदते हैं और आसपास के इलाके में इसी मोटर साईकिल से जो रविन्द्र की है, के माध्यम से बेचते हैं। यह लोग स्मैक को बेचने का धन्धा विगत 02 वर्षों से कर रहे हैं। जो रूपये इन लोगों से बरामद हुए हैं वह स्मैक बेचकर ही इन्हे मिले थे। बची स्मैक को बेचने के लिए जा रहे थे कि गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्व थाना सरसावा, जनपद सहारनपुर पर मु0अ0सं0 404/2022 धारा 08/21/29/60(3) एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

———————